न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 61/2020
GCMS NO. : 2020/00088

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. गुदड़राम पुत्र मांगीलाल 2. सोबाराम पुत्र मांगीलाल 3. शिवप्यारी पत्नी मांगीलाल 4. दीनाराम पुत्र भंवरलाल 5. सुखड़ी पत्नी भंवरलाल जातियान– जाट, निवासीगण– बस्सी(आ.कालू) तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।		1.लुणाराम पुत्र अणदाराम 2.भाकरराम पुत्र अणदाराम 3.सीता देवी पत्नी लुणाराम 4.यशपाल सिंह पुत्र चन्द्राराम 5.इन्द्रा पुत्री चन्द्राराम 6. लीला पुत्री चन्द्राराम 7.मोकड़ पुत्री चन्द्राराम 8.कबु पुत्री चन्द्राराम 9.बिदामी पुत्री चन्द्राराम 10.तुलसी देवी पत्नी चन्द्राराम 11.हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम 12.अमराराम पुत्र अर्जूनराम 13.तिजी देवी पत्नी अर्जुनराम 14.मोडाराम पुत्र रामपाल 15.रामदेव पुत्र रामपाल नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता बिदामी देवी 16.काली देवी पुत्री रामपाल 17.बिदामी देवी बेवा रामपाल 18.मुनाराम पुत्र गोपाराम 19.पुरखाराम पुत्र गोपाराम सभी जातियान– जाट, निवासीगण– बस्सी(आ.कालू) तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान) 20.तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:–09.06.2020

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रि[illegible] अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनॉक: 28/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

पेश किया कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 व 19 की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मोजा बस्सी पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आ. कालू तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1542 रकबा 108 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसमें सायलान 1/5 वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष 4/5 वे हिस्से की भूमि गैरसायल संख्या 01 से लगायत 19 तक की है। इसी माफिक पक्षकारान मौके पर काबिज है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायलान का मौके पर संयुक्त व साम कब्जा व काश्त है तथा इस विवादित भूमि का सायलान एवं गैरसायलान के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के कोई बंटवाड़ा भी नही हो रखा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में भी सायलान एवं गैरसायलान के बीच संयुक्त व सामलाती है इसी वजह से खातेदारो के बीच कई बार इस भूमि के नाप चौंप सीमा व माठ को लेकर सायलान से गैरसायलान विवाद कर रहे है तथा सायलान के हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा होना बताकर के सायलान के कब्जे काश्त में भी दखलन्दाजी कर रहे है। जबकि सायलान अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहते है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहते है, लेकिन 23.5.2014 गैरसायल संख्या 01 से लगायत 03 व गैरसायल संख्या 14 से लगायत 17 उसमें भी विवाद कर रहे है। जबकि सायलान अपने इस शामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवाड़ा करना चाह रहे है, लेकिन गैरसायल संख्या 01 से लगायत 03 व गैरसायल संख्या 14 से लगायत 17 इसमें सहमत नहीं हो रहे है तथा दिनांक 01.06.2020 को सायलान ने गैरसायल संख्या 01 व अन्य से कथन किया की इस भूमि के नाप चोप को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें, लेकिन उक्त गैरसायलान आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गए है एवं उन्होंने सायलान को ऐलानिया कथन किया कि वे न तो बंटवाड़ा करेगें एवं न ही भविष्य में इस भूमि पर तुम्हे काश्त करने देगें तथा इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को जरिये बैचान के अन्य हस्तान्तरण करेगें। जबकि विवादित भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर शामलाती है जिसके विशिष्ट भू भाग का बैचान किया जाना कतई गलत है। उसके बावजूद भी गैरसायलान विवाद कर रहे है। इस वजह से सायलान अपने हक [illegible] की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के [illegible] गैरसायलान उसमें सहमत नहीं हो रहे है। जिस पर सायलान [illegible] यह प्रार्थना पत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा क[illegible]ाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका बाई मिट्ठ एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा भी नही हुआ है उसके बावजूद भी गैरसायल संख्या 14 से लगायत 17 इस विवादित भूमि के विशिष्ट भू भाग को 2345.2145 अजनबी केता को बैचान हस्तान्तरण करते हुये सायलान को बेकाबिज कर अजनबी केता को कब्जा सौप देना चाह रहे है। इस बाबत दिनांक 01.06. 2020 को गैरसायल संख्या 14 से लगायत 17 ने सायलान को ऐलानिया कथन भी किया है। इस प्रकार से उक्त गैरसायल संख्या 14 से लगायत 17 जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर विवाद कर सायलान को इस विवादित भूमि से बेकाबिज करते हुये इस विवादित भूमि को विशिष्ट भू भाग का अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी कदर सम्भव नही है साथ ही सायलान गैरसायल संख्या 14 से लगायत 17 के ऐसे अवैध कृत्यो का विरोध करेगे। जिसे विवाद बढ़ेगा एवं मल्टीपीसीटी अ०फ प्रोसिडिंग होगी। साथ ही यदि उक्त गैरसायलान जबरदस्ती सायलान के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार सायलान का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि सायलान की खातेदारी काश्त की शामलाती भूमि है जिसके प्रत्येक इंच व हिस्से पर सायलान को हक अधिकार प्राप्त है यदि इस भूमि पर से बिना किसी हक व अधिकार के ही गैरसायलान सायलान को बेकाबिज कर सायलान की भूमि के विशिष्ट भू भाग को जरिये रहन, बैचान वसियत के अन्य हस्तान्तरण कर देते है एवं सायलान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि में सायल अपने 1/5 वे हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, साथ ही इस विवादित भूमि के विशिष्ट भू [illegible] को रहन बैचान वसियत के अन्य हस्तान्तरण भी नही करे ऐसा [illegible] की प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 4 से 08, 10 से 13 एवं 15

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

से 20 बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 03, 09 व 14 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03, 09 तथा 14 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जवाब है कि सायल एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू द्वितीय खसरा संख्या 1542 रकबा 108-2 बीघा आई हुई है, जिसमें सायलान का 1/5 हिस्सा व उतरदाता गैरसायल संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 14, 15, 17 का 3/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार व कब्जाकाश्त है, अन्य हिस्सा अन्य गैरसायलान का है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथनों का जवाब है कि पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खातेदारान की राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारी में दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त कृषि भूमि पूर्वजों के समय से सेटलमेंट से तथा पिछले 70 वर्षो से अधिक समय से बंटवाड़ा होकर माफिक हिस्सेनुसार कब्जाकाश्त है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का नापचोप कर खेतों के बीच खन्दक/माठ भी लगी हुई है। सायलान ने उतरदाता गैरसायलान के बीच उक्त भूमि का जब मौके पर 70 वर्ष से बंटवाड़ा है तो फिर सायलान द्वारा नापचोप सीमा, माठ को लेकर विवाद करने तथा सायलान के हक-हिस्से व कब्जे की भूमि पर ब्लज्जबरदस्ती कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करने आदि के कथन भी वाद/प्रार्थना पत्र करने की गरज से गलत व झूठे अंकित किये है। सायलान अपने हक व हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि में खाद बीज मिट्टी डांले तथा अपनी भूमि की सुरक्षा के लिये जाली या तारबन्दी करें तो उतरदाता गैरसायलान को कोई सरोकार नहीं है तथा उतरदाता गैरसायलान को दिनांक 01.06.2020 को उक्त भूमि बाबत आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने का नही कहा तथा न ही उतरदाता गैरसायल ने बंटवाड़ा को लेकर कभी कोई विवाद किया। उतरदाता गैरसायलान सेटलमेंट के समय से मौके पर बंटवाड़ा होकर काश्त कर रहे है उस माफिक सायलान बंटवाड़ा करना चाहे तो सहमत है। सायलान को उतरदाता गैरसायलान ने बंटवाड़े को लेकर कभी कोई विवाद नहीं किया न ही सायलान के कब्जेकाश्त भूमि में काश्त करने से मना किया। उतरदाता गैरसायल संख्या 14, 15 व 17 को रुपयों की आवश्यकता होने पर खसरा संख्या 1542 रकबा 108-02 बीघा भूमि का 1/5 हिस्से का 1/2 वें हिस्सा का 3/4वें हिस्से में से 60/81 वा हिस्सा की भूमि रकबा 6 बीघा भूमि को दिनांक 16.06.2020 को क्रेता गणपति पत्नी नेमाराम को बैचान किया तथा माफिक बैचान म्यूटेशन संख्या 1742 दिनांक 19.07.2021 को रेवेन्यू एजेन्सी ने जमाबन्दी में नाम इन्द्राज किया। गैरसायल संख्या 14, 15 व 17 का जिस [illegible]र कब्जा था उसी जगह क्रेता को मौके पर कब्जा सौपा, उक्त बैचान गैरसायल संख्या 14, 15 व 17 ने क्रेता गणपति को न्यायालय हाजा द्वारा प्राप्त सम्मन की [illegible] किया। विक्रेता ने क्रेता को विशिष्ट भू-भाग का कोई बैचान नहीं किया। सायलान अपने हक-हिस्से की भूमि पर वक्त सेटलमेंट से जहा बंटवाड़ा हो रखा था वही पर कब्जा व त कर रहे है इसलिये अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ये सिरे से बंट्वाड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में दर्ज कथनों का जवाब है कि वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खातेदार की शामलाती राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर पक्षकारान के पूर्वजों के समय से ही अर्थात् रणारापिछले 70 वर्षो से उक्त भूमि का माफिक हिस्सेनुसार बंट्वाड़ा होकर शांतिपूर्वक काश्त करते है जिसमें आज दिन तक कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। गैरसायल संख्या 14, 15 व 17 को पारिवारिक कार्य के लिये रकम की आवश्यकता होने पर अपने हक-हिस्से में से 6 बीघा भूमि को गणपति पत्नी नेमाराम को बैचान की जहा पर उतरदाता गैरसायल का कब्जा था, वही क्रेता गणपति को कब्जा सौपा तथा रेवेन्यू एजेन्सी ने हक-हिस्से व कब्जेकाश्त की जांच कर क्रेता के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किया इसलिये गणपति अजनबी क्रेता नहीं होकर उक्त भूमि की खातेदार है। सायलान को उतरदाता गैरसायलान ने कभी भी जबरदस्ती लाठी, लकड़ी के बल पर उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी तथा सायलान अपने हक-हिस्से की भूमि पर काबिज है तो फिर असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि से उतरदाता गैरसायलान ने कब्जे से बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी है मात्र वाद/प्रार्थना पत्र करने की गरज से झूठे कथन किये है इसलिये सायलान उतरदाता गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में दर्ज कथनों का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1542 रकबा 108-02 बीघा भूमि में सायलान के साथ उतरदाता गैरसायलान भी खातेदार काश्तकार माफिक हिस्सेनुसार कब्जाकाश्त है। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जाकाश्त है तो उन्हें किसी प्रकार से कोई असीम हानि होने का भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिये सायल के पक्ष में न तो प्रथमदृष्टया मामला है तथा न ही सुविधा संतुलन है। इसलिये उन्हें असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर पिछले 70 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे है, तो उनके हिस्से की भूमि से उतरदाता गैरसायलान ने कब्जे से बेदखल करने व काश्त करने में कभी दखलन्दाजी नहीं की है तथा न ही सायलान के हिस्से की भूमि के विशिष्ट भू भाग का गैरसायलान ने लूणारबैचान, हस्तान्तरण नहीं किया है। इस कारण से सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वैसे भी शामलाती खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच की भूमि पर हक व अधिकार होने से एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। इसका एकमात्र विकल्प भूमि का विभाजन है। उतरदाता गैरसायल संख्या 14, 15 व 17 ने अपने हक हिस्से की भूमि में से 6 बीघा भूमि को गणपति पत्नी नेमाराम को [illegible] हाजा द्वारा प्राप्त नोटिस के पूर्व ही बैचान कर दी तथा जहा विक्रेता का कब्जा था वही क्रेता को कब्जा सौपा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान उतरदाता गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये किसी विशिष्ट भू भाग के बैचान पर आमादा है, जिससे सहखातेदारान् के मध्य बार बार विवाद उत्पन्न होता है एवं अप्रार्थीगण बंटवाड़ा करवाने पर सहमत नही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से अपने हक हिस्से तक कानूनन बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है, अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03, 09 व 14 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की सहखातेदारी भूमि है जो मौके पर पूर्वजो के समय से बंटी हुई है तथा खेतो के बीच खन्दक व माठ भी लगी हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा बंटवाड़े को लेकर कभी कोई विवाद नही किया है, अप्रार्थीगण संख्या 14, 15 व 17 द्वारा अपनी जायज जरूरतो के लिए खसरा संख्या 1542 में से अपने 1/5 हिस्से के 1/2 हिस्से का 3/4 वां हिस्सा में से 60/81 वां हिस्सा की 06-00 बीघा भूमि दिनांक 16.02.2020 को क्रेता गणपती पत्नी नेमाराम को विक्रय किया, जिसका नामान्तरण संख्या 1742 दिनांक 19.07.2021 को दर्ज हुआ, तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया, जो विशिष्ट भू भाग नही है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख, प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी आराजी है जिसका प्रत्येक सहखातेदार अपने हिस्से तक कानूनन बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होता है। तथा अविभाजित आराजी के संबंध में किसी भी विशिष्ट भू भाग को किसी विशिष्ट खातेदार का नही माना जा सकता। चूंकि हस्तगत वादपत्र बंटवाड़े से संबंधित है, तथा प्रार्थीगण से सहखातेदार है जो बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है, अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :-चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त अविभाजि आराजी के सहखातेदार है तथा हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है एवं उपयोग उपभोग में है अतः सुविधा का संतुलन अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में माना जाता है साथ ही अविभाजित आराजी के बिना बंटवारा बेचान करने से प्रकरण में मौके की स्थिति को लेकर न केवल काश्तकारो के मध्य विवाद उत्पन्न होता है बल्कि प्रकरण के सम्यक निस्तारण में भी अनावश्यक जटिलता एवं विलम्ब कारित होता है अतः यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभव है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण द्वारा बंट्वाड़ा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है, लिहाजा ताफैसलावाद उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण नही करने व वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मोजा बस्सी पट्वार हल्का आ. कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आ. कालू तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1542 रकबा 108 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested